धारा 13 : कर की वसूली

(1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम सरकार को संदेय है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, उक्त व्यक्ति से उक्त बकाया कर की वसूली के दौरान, रकम की वसूली इस प्रकार कर सकेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया था और इस प्रकार वसूल की गई रकम को संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित शीर्ष के अधीन सरकार के खाते में जमा कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम, इस अधिनियम तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां सरकार के खाते में जमा की जाने वाली रकम संघ राज्यक्षेत्र कर और केन्द्रीय कर के रूप में शोध्य रकम के अनुपात में होगी।